तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.25	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यवस्त है। इसलिए होकर पत्रावली दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।	
30.10.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक रांजस्व /2025/1043 दिनांक 27.10.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, तहसीलदार सिवाना ने मौका रिपोर्ट में अंकन किया है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है, मौका व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु नया रास्ता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। प्राथी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 561 नया खसरा संख्या 615 में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 689/654, 566 व 562 में रास्ता चाहा गया है,जमाबंदी व नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 615 खसरा संख्या 635 रकबा 0.3269 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता से जुडता हुआ है। तहसीलदार सिवाना के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 615 में आंवगमन हेतु रास्ता उपलब्ध है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क अनुसार प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता होने पर ही नया रास्ता घोषित किया जाना चाहिए, इस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को आवगमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 1[illegible]:12:04 IST
Reason: SelfAttested